

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या: 2358/2023

फिरोज पिता श्री अकील खान, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी संजय नगर, थाना विज्ञान नगर, जिला कोटा (राज)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, इसके प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से
2. जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (राज)
3. महानिदेशक, कारागार निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
4. अधीक्षक, केंद्रीय जेल, कोटा (राज)

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री गोविंद प्रसाद रावत
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री घनश्याम सिंह राठौड़, जीए-कम-एएजी, श्री संतोष सिंह शेखावत, श्री तैय्यब अली, श्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौड़, श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह राठौड़

माननीय श्री जस्टिस इंद्रजीत सिंह

माननीय श्री जस्टिस अशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्ट योग्य

21/05/2024

न्यायालय द्वारा : (माननीय श्री.जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जे):

1. यह डी.बी. आपराधिक रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान कारागार (सजा में कमी) नियम, 2006 (जिसे आगे 2006 के नियम कहा जाएगा) के तहत समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 16/2008 में दिनांक 05.04.2010 के निर्णय के द्वारा धारा 148, 302/149 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 282/2010 दायर की, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2017 को निरस्त कर दी गई।
3. तत्पश्चात राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंसा के आधार पर याचिकाकर्ता को दिनांक 23.04.2021 के आदेश के द्वारा स्थायी पैरोल पर रिहा किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने नियम, 2006 के नियम 8 के तहत समय से पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया और सलाहकार समिति ने दिनांक 14.12.2022 को अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया तथा याचिकाकर्ता के समय से पूर्व रिहाई के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.12.2022 को पारित आदेश मनमाना और पूर्णतः मानसिक विचार का अभाव है। अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि सलाहकार समिति नियम, 2006 के नियम 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है:-

“10. प्रक्रिया : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक जानकारी सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा सके, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी : (i) सलाहकार बोर्ड का सचिव प्रत्येक ऐसे बंदी के संबंध में संपूर्ण विवरण एकत्रित करेगा, जो बोर्ड द्वारा विचार के योग्य हो, बोर्ड की बैठक की तिथि से पूर्व और बंदी के पूर्व इतिहास व चरित्र, सजा देने वाली न्यायालय का निर्णय जिसमें यह वर्णित हो कि किस परिस्थिति में अपराध या अपराध किए गए थे, उसकी जेल रिकॉर्ड, जिला मजिस्ट्रेट तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट सहित पूरी सटीक जानकारी बोर्ड की बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगा कि बंदी समय से पूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है या नहीं। सलाहकार बोर्ड द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी भी जेल रिकॉर्ड से उपलब्ध करवाई जाएगी। (ii) प्रत्येक मामले में निर्णय पर पहुँचने से पूर्व कि बंदी समय से पूर्व रिहाई के लिए बिना स्वयं या समाज के लिए किसी खतरे के उपयुक्त है अथवा नहीं समाज को ध्यान में रखते हुए, सलाहकार बोर्ड को न्यायालय के निर्णय, संबंधित पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्टों, रिहाई हेतु अनुशंसित बंदी के आचरण व चरित्र, रिहाई की स्थिति में लगाई जाने वाली किसी भी शर्त तथा बंदी के जेल में आचरण और व्यवहार का सावधानीपूर्वक परीक्षण और विचार करना होगा। केवल वही बंदी, जिसका जेल में आचरण उत्कृष्ट रहा हो, सलाहकार बोर्ड में विचार हेतु पात्र होगा। (iii) रिहाई के योग्य बंदी की शारीरिक और मानसिक स्थिति संबंधी रिपोर्ट जेल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सलाहकार बोर्ड के सचिव द्वारा प्राप्त की जाएगी और इसे अंतिम अनुशंसा के लिए सरकार को भेजे जाने से पहले बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। (iv) सलाहकार बोर्ड प्रत्येक मामले का सम्पूर्ण इतिहास एवं संबंधित कागजात प्रपत्र-1 में सरकार को अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगा। (v) जिस बंदी को कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराया गया हो, उसकी पिछली जानकारी की सामान्यतः जांच आवश्यक नहीं होगी तथा जेल में उसके व्यवहार की जांच ही पर्याप्त होगी।”

5. अधिवक्ता ने आगे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद संख्या 5, 6 व 7 में निम्नलिखित कहा गया है

“5. हमारे समक्ष उपस्थित सभी ‘आजीवन कारावास प्राप्त दोषियों’ ने 20 वर्षों की निरंतर हिरासत पूरी कर ली है, जिसमें छूट की अवधि भी सम्मिलित है। राज्य द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामा से स्पष्ट है कि सरकार ने भी इस उद्देश्य के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। ‘आजीवन कारावास प्राप्त दोषियों’ की समयपूर्व रिहाई के लिए दायर प्रार्थना पर विचार करते समय पुलिस रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ फुकन, जे. 799 में निम्नलिखित बिंदुओं का अनुसरण किया गया: (i) क्या अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्तिगत कृत्य है; (ii) क्या अपराध को दोहराए जाने की कोई संभावना है; (iii) क्या दोषी अपराध करने की संभाव्यता खो चुका है; (iv) क्या अपराधी को कारावास में रखने का अब कोई सार्थक उद्देश्य शेष है; (v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।”

6. यद्यपि पुलिस रिपोर्ट ने उपरोक्त सभी बिंदुओं को शामिल नहीं किया, “आजीवन कारावास प्राप्त दोषियों” की समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना मुख्यतः पुलिस द्वारा लगाए गए आपत्तियों के आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी। पुलिस ने केवल यह रिपोर्ट दी थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनः अपराध किए जाने की संभावना है। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने नियमानुसार समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना पर विचार नहीं किया। सरकार ने जेल में याचिकाकर्ताओं के आचरण-अभिलेख पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और न ही यह विचार किया कि क्या उन्होंने अपराध करने की संभाव्यता खो दी है। संबंधित पक्ष, अर्थात्, अब उन्हें जेल में रखने का कोई लाभकारी उद्देश्य शेष नहीं है, इस पर भी विचार नहीं किया गया और दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में नहीं रखा गया। अतः सरकार के आदेशों में खामियां हैं और वे निरस्त किए जाने योग्य हैं।

7. परिणामस्वरूप, हम राज्य सरकार के सभी आदेशों को निरस्त करते हैं तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी 'आजीवन कारावास प्राप्त दोषियों, जिन्होंने वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की हैं, के समयपूर्व रिहाई के मामलों पर संबंधित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पुनर्विचार करें।
6. श्री जी ए-कम-एएजी ने रिट याचिका का विरोध किया।
7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया।
8. हमने अभिलेख, 2006 के नियमों के साथ-साथ लक्ष्मण नस्कर (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया है और सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 14.12.2022 को पारित आदेश का भी अध्ययन किया है।
9. हमारे विचार से, सलाहकार बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने में पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया जाना चाहिए: पहला, सलाहकार बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा समयपूर्व रिहाई के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करते समय नियम 2006 के नियम 10 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है; दूसरा, हमारे विचार से, सलाहकार बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने में पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया है; तीसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मण नस्कर मामले में पारित निर्णय के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
11. याचिकाकर्ता के संबंध में सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 14.12.2022 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। हम प्राधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर, 2006 के नियम 10 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के मामले पर पुनर्विचार करें।

(आशुतोष कुमार),जे

(इंद्रजीत सिंह),जे

तनिषा/90

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate